कार्यालय, भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर।
{ जयपुर विकास प्राधिकरण -भवन }

क्रमांक/भू·अ·/नवि·/91/----- दिनांक/--12-6-91

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास की भूमि अवाप्ति बाबत।
{पृथ्वीराज नगर योजना}

======

मुकदमा नम्बर: 486/88

अवार्ड

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 {1984 का केन्द्रीय भूमि अधिनियम संख्या-1}की धारा-4 {1} के तहत क्रमांक प-6 {15} नविआ/87 दिनांक 6·1·88 का गजट प्रकाशन राजस्थान राजपत्र 7 जुलाई, 1988 का प्रकाशित करवाया गया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी{5 ए (1)} की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरांत राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा-6 का गजट प्रकाशन क्रमांक प-6 {15}नविआ/3/87 दिनांक 28·7·89 का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र 31 जुलाई, 1988 को किया गया।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा -6 का प्रकाशन कराया गया उसमें ग्राम मानुपर देवी उर्फ गोल्यावास तहसील, सांगानेर, जयपुर में अवाप्तिधीन भूमि की स्थिति निम्न प्रकार बताई गई है :-

क्र·सं·	मुकदमा नम्बर	खसरा नं0	अवाप्ति अधीन भूमि का रकबा बी· बि·	खातेदार/हितदार क
1·	2·	3	4·	5·
1·	486/88	343	00-12	धर्मेन्द्र सिंह पुत्र बहुरूप सिंह
	000	344	00-02	कौम जाट सा·देह
		345	00-02	
		346	00-17	
		347	01-04	
		348	02-03	
		349/422	24-14	
			29-14	

मुकदमा नम्बर 486/88 खसरा नम्बर 343 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं, 344 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 345 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 346 रकबा 17 बिस खसरा नम्बर 347 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 348 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 349/422 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा ।

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 343, 344, 345, 346, 347, 348, व 349/422 , धर्मेन्द्र सिंह पुत्र बहुरूप सिंह , कौम जाट सा·देह के नाम खातेदारी में दर्ज है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास योजनायें जयपुर

------2/पर----

०७प्र०७

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 9.4.91 को रजिस्टर्ड ए०डी० व तामील कुनिन्दा द्वारा जारी किये गये। जिसकी तामिल खातेदार के अभिभावक श्री पुनमचन्द शाह को कराई। नोटिस दिनांक 24.4.91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों में प्रकाशन कराया गया। इसके पश्चात दिनांक 30.5.91 को खातेदार/हितदार की ओर से अभिभावक श्री पुनमचंद शाह उपस्थित हुए और उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया तथा क्लेम पेश करने के लिये अतिरिक्त अवसर दिया गया। दिनांक 10.6.91 को खातेदार/हितदार की ओर से श्री पुनमचंद शाह अभिभावक ने भूमि व भूमि पर स्थित पेड-पौधों, कुआ, मकान आदि का क्लेम मय आपत्तियों के निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है।

(क) यह कि प्रार्थी की भूमि का लोकेशन फ्यूचर पोटेन्शियलिटी, उपयोगिता, उपादेयता आदि के आधार पर उसकी भूमि का मुआवजा निर्धारित किया जाये।

(ख) यह कि प्रार्थी की भूमि ऐशिया की वृहत्तम आवासीय योजना मानसरोवर के लगभग 100 (एक सौ) मीटर की दूरी पर स्थित है। विकास प्राधिकरण भूमि को आवासीय प्रयोजन के लिये अवाप्त करना आवश्यक मानता है, तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी की भूमि आवासीय भू-खण्ड एवं वाणिज्य काम्पलेक्स बनाये जाने के लिये अत्याधिक उपयोगी है।

(ग) यह कि प्रार्थी की भूमि मुख्य सड़क जो सांगानेर से लोडाला को जाती है। उस पर लगती हुई दक्षिणी ओर है। प्रार्थी की भूमि के सामने एक सड़क के उत्तरी ओर विशिष्ट व्यक्ति अर्थात् भूतपूर्व सांसदों; विधायकों आदि को आवंटित किये गये आवासीय गृह है तथा इसके साथ ही कार्मिशियल काम्पलेक्स हैं। इस प्रकार भूमि की उपादेयता निश्चित रूप से आवासीय एवं कार्मिशियल है।

(घ) यह कि मानसरोवर योजना जो सन् 1985 में मूर्त रूप ले चुकी थी एवं जिसमें वर्ष सन् 1985 में हुये आम चुनावों के समय लगभग 50,000 (पचास हजार) से अधिक मतदाता निवास करने लगे थे। यह भी भूमि सन् 1984-85 में 200 से 300 प्रति प्रति वर्ग गज से आवासन मण्डल ने कीमत लेकर आवंटित किये हैं। वर्ष 1988 में इसी क्षेत्र की औसत कीमत आवासीय प्रयोजन में 500/- रू. गज से कम नहीं रही है।

(ड़) यह है कि प्रार्थी की भूमि के निकट वाकिंग डिसटेन्स पर सार्वजनिक पार्क, हायर सैकण्डरी स्कूल, अस्पताल, डिसपेन्सरी, पुलिस चौकी आदि वर्ष 1986 से निरन्तर स्थित है जिनके कारण प्रार्थी की भूमि की उपादेयता और भी अधिक बढ़ जाती है।

(च) यह कि प्रार्थी की भूमि पर सघन बगीचा लगा हुआ है, पक्का कुआ आर.सी.सी. का एवं उसमें 6 (छ:) इंच बोरिंग, बिजली कनेक्शन सहित है। बोरिंग लगभग 300 फिट है तथा 24 (चौबिस) घण्टे पानी उपलब्ध रहता है।

(छ) यह कि प्रार्थी की भूमि के आसपास कतिपय सोसायटियों ने 600/- रूपये से

--3/पर----

800/- रूपये वर्ग गज में भू-खण्ड आवंटित किये हैं।

(ज) यह कि राज्य सरकार की ओर से प्रसारित परिपत्र क्रमांक एफ 10(15) यू.डी.एच.-89 दिनांक 26.8.1989 द्वारा भूमि को अर्बनाईजिबललिमिट में सम्मिलित कर लिया जाना ज्ञात हुआ है। दोंपेदार ऐसी स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम ज्योराज व अन्य सिविल फर्स्ट अपील नम्बर 17 से 21 एवं 36 वर्ष 1981 के निर्णय दिनांक 21-11-1989 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मुआवजा की राशि कृषि भूमि जो आवासीय उपयोग की हो सकती है, के सम्बन्ध में आवासीय का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है।

(झ) यह कि प्रार्थी की भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर एवं पेड़-पौधों का मुआवजा निम्न प्रकार प्रार्थी पाने का अधिकारी है :-

- : : विगत मुआवजा : : -

(अ) भूमि खसरा नम्बर 343 रकबा 21 बिस्वा, भूमि खसरा नम्बर 344 रकबा 2बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 345 रकबा3 बिस्वा, भूमि खसरा नम्बर 346रकबा, 17बिस्वा भूमि खसरा नम्बर347 रकबा 1 बीघा 4बिस्वा, भूमिखसरा नम्बर 348 रकबा2बी. 3बिस्वा, एवं भूमि खसरा नम्बर 349/422 रकबा 24बीघा 14 बिस्वा कुल 29 बीघा 15 बिस्वा जो 89,993.75 वर्गगज के समकक्ष आंकलित होता है, में से40% भूमि डवलपमेन्ट के लिए टाऊन प्लानिंग सिद्धान्त के अन्तर्गत कम कर देने पर शेष बची भूमि 53,996 वर्गगज भूमि जिस पर प्रति वर्गगज कनवरजन एवं डवलपमेन्ट की राशि 100/-रूपये प्रति वर्गगज कम कर दिये जाने पर शेष राशि प्रति वर्ग गज 400/-रू. से — 2,15,98,400=00

(आ) भूमि पर स्थित पक्का कुआ जिसका घेरा 8फुट 6 इन्च है तथा गहराई 92फुट है। ईंटो एवं सीमेन्ट का बना हुआ, जिसमें 2बोरिंग250फुट गहरे है। मय बिजली सेट आदि। — 1,50,000/-

(इ) भूमि पर स्थित अण्डरग्राउण्ड चैनल्स 1182 फुट एवं पानी के स्टॉक की 2 हौदियां बड़ी एवं 9छोटे है, का मुआवजा- — 40,000/-

(ई) भूमि पर स्थित पक्का मकान क्रमशः बिजली की घुमटी 5x5x7 क्रमशः 8x12, 13x19, 12x10 एवं टीन सेट क्रमशः 6x13, 6x15, 5x5 एवं फूंस का छप्पर, जिसकी मुआवजा राशि — 80,000/-

(उ) भूमि पर स्थित वृक्ष:-

(ए) बबूल पेड़20वर्ष 10 से अधिक प्रति वृक्ष औसत लकड़ी 100 मन कीमत3,000 से — 60,000/-

भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास योजनायें जयपुर

क्रमशः------4/पर---

(बी) सेमलों के 7 वृक्ष प्रति वृक्ष औसत लकड़ की 50 मन एवं वार्षिक धूम कमाई की आय 100 से प्रति वृक्ष कुल आय के आधार पर मुआवजा 1,000/- रु० प्रति वृक्ष की दर से कुल रुपया — 7,000/=

(सी) गूलर एक वृक्ष मुआवजा राशि — 500/=

(डी) आम एक वृक्ष फल देता हुआ — 4,000/=

(ई) नींबू 400 वृक्ष प्रति वृक्ष 200/=रु० की दर से मुआवजा राशि — 80,000/=

(एफ) अनार 100 वृक्ष प्रति वृक्ष 50/=रु० की दर से राशि — 5,000/=

(जी) शहतूत 50 वृक्ष प्रति वृक्ष 100/= रु० की दर से — 5,000/=

(एच) नारंगी 25 वृक्ष प्रति वृक्ष100/=रु० की दर से — 2,500/=

(आई) मौसमी 25 वृक्ष प्रति वृक्ष 100/=रु० की दरसेराशि — 2,500/=

(जे) अमेरूद20वृक्ष प्रति वृक्ष300/=रु० की दर से राशि — 2,000/=

(के) लोकाट 2 वृक्ष प्रति वृक्ष 300/=रु० दर से राशि — 600/-

(एल) आड़ू 4 वृक्ष प्रति वृक्ष 300/= रु० की दर सेराशि — 1,200/=

(एम) चीकू पांच वृक्ष प्रति वृक्ष400/= रु० प्रति दर से राशि — 2,000/=

(एन) आंवला पांच वृक्ष प्रति वृक्ष 300/= रु० की दर से राशि — 1,500/=

(ओ) बादाम एक वृक्ष राशि — 1,000/=

(पी) कमरख पांच वृक्ष प्रति वृक्ष 200/=रु० की दर से राशि — 1,000/=

(क्यू) अल्डू पचास वृक्ष प्रति वृक्ष 100/=रु० की दर से राशि — 5,000/=

(आर) आम के छोटे 30 वृक्ष प्रति वृक्ष 100 /= रुपये की दर से राशि — 3,000/=

(ऊ) भूमि पर स्थित मिट्टी की डोली लम्बाई 600फुट ,ऊंचाई 5फुट 2इन्च एवं मोटाई 4(चार) फुट दर पांच रुपये धन फिट से — 40,000/=

(ए) डोली पर स्थित कुंये नग 600 प्रति कुंआ दस रुपये की दर से कुल राशि — 6,000/=

कुल योग:- 2,20,98,200=00

(अक्षरे -दो करोड़ बीस लाख अट्ठाणवें हजार दो सौ रुपये) मात्र

उक्त राशि पर दिनांक 7-7-1988 से अवार्ड के दिवस तक 12% की दर से अतिरिक्त मुआवजा अन्तर्गत धारा 23- कैपिटल ए, उक्त मुआवजा राशि पर 30% की दर से अनिवार्य आवाप्त चार्जेज एवं अवार्ड के दिवस के पश्चात अदायगी के प्रथम एक वर्ष तक 9% वार्षिक दर से सम्पूर्ण देय राशि पर ब्याज एवं इसके पश्चात् की अवधि पर 15% की दर से ब्याज अतिरिक्त रूप से दिलाया जाये ।

क्रमशः:----------5/पर ----

अधिकारी, विकास योजनायें, जयपुर

उपरोक्त मुआवजा निरधारिण किये जाने के साथ प्रार्थी को उक्त भूमि पर रिजर्व प्राईस पर 1500 वर्ग मीटर क्षेत्र का भूखण्ड आवंटित किया जाये।

खातेदार /हितदार श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र बहुरूप सिंह के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत क्लेम की एक प्रति अभिभाषक श्री के.पी. ﴾ज.वि.,पा.﴿ को दी गई। श्री मिश्रा का कथन है कि क्लेम के साथ जो आपत्तियां उठाई है उन आपत्तियों को धारा 5 ए की सुनवाई के समय उठाया जा सकता था। धारा 9 व10 के नोटिस के समय इन आपत्तियों पर न तो विचार किया जा सकता है और न ही निपटारा किया जा सकता है। प्रार्थीगण ने मनमाने तौर पर क्लेम प्रस्तुत किया है जो स्वीकार नहीं है,। इस प्रकार की भूमि की कीमत 24,000/-रूपये प्रति बीघा है। अन्य क्लेम का कोई आधार नहीं है। प्रार्थी नियमानुसार 12% व 30% की दर से धारा 23﴾1﴿ए के अनुसार भूमि की कीमत पर मुआवजा पाने का अधिकारी है। खातेदार को 1500 वर्ग मीटर का भूखण्ड देना संभव नहीं है। क्योंकि इससे पृथ्वीराज नगर योजना पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। खातेदार ने भूमि की बाजार दर के सम्बन्ध के कोई ठोस दस्तावेजात पेश नहीं किये और ना ही स्ट्रेक्चर्स के बाबत किसी रजिस्टर्ड वेल्यूवर से प्रमाणित तखमीने प्रस्तुत किये है। जविप्रा के अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत है। अतः क्लेम के आधार पर मुआवजा राशि दिया जाना न्याय संगत नहीं है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9﴾1﴿ के अन्तर्गत उपरोक्त मुकदमों में सार्वजनिक नोटिस भी दिनांक 29.4.91 को जारी किया गया जो तामिल कुनिन्दा द्वारा सम्बन्धित तहसील, पंचायत समिति नोटिस बोर्ड, ग्राम पंचायत, व सरपंच को दिये गये व चस्पा कराया गया।

मुआवजा निर्धारण:-

जहां तक पृथ्वीराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प-6﴾15﴿ नविआ/87 दिनांक 1.1.89 द्वारा मुआवजा निर्धारण के लिये राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव, राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गयाथा लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में से किसी भी ग्राम के मुआवजा राशि का निर्धारण नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 353-355 दिनांक 11.2.91 द्वारा शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, एवं सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण को भी निवेदन किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी से मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण करा ली जावे। इसके उपरान्त समय समय पर आयोजित मिटिंग्स में भी मुआवजा निर्धारण के लिये निवेदन किया गया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

क्रमश-----------6/पर

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी खातेदार को बुलाकर नगोशियसन नहीं किया गया है ।

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजे निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किये है उनमें कृषि भूमि के मुआवजे निर्धारण का तरीका धारा -4 के गजट नोटिफिकेशन वर्ष 88 को हुआ था (7.7.88) इसलिये विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय के परिपेक्ष में 7 जुलाई, 1988 को विभिन्न उप-पंजीयकों के यहां पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों के रजिस्ट्रेशन की दर क्या थी उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है ।

जहां तक उपरोक्त खसरा नम्बरान् के खातेदारान/हितधारान को मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है । खातेदारान की ओर से क्लेम पेश किया गया है लेकिन बाजार दर के लिए विक्रय पत्र एवं क्लेम को सबूत में कोई ठोस सबूत दस्तावेजात पेश नहीं किये है । जिससे क्लेम के अनुसार मुआवजा राशि दिया जाना न्याय संगत नहीं ।

लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्त के अनुसार इस संबध में जयपुर विकास प्राधिकरण जिसके लिए भूमि अवाप्ति की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव ने अपने पत्र क्रमांक:टी.डी.आर./91/336 दिनांक 3.6.91 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया कि धारा-4 के नोटिफिकेशन के समय ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास में 15,300/-रुपये प्रतिबीघा की दर से पंजीयन हुआ था इसलिए जहां तक उनके पक्ष का सम्बन्ध में है यह दर उचित है ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

हमने इस संबध में उप पंजीयकों एवं तहसीलदार तहसील सांगानेर के यहां से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी । तहसीलदार जविप्रा प्रथम ने अपने यू.ओ.नोट दिनांक 8.5.91 द्वारा उप पंजीयक सांगानेर के यहां भी धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर यही बताई है ।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आसपास की भूमि की मुआवजा राशि 24,000/-रु0 प्रतिबीघा की दर से अवार्ड जारी किये गये एवं जिनका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है ।

जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के.पी.मिश्रा ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया है कि यदि मुआवजा राशि 24,000/-प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जविप्रा को कोई आपत्ति नहीं होगी । क्योंकि कुछ समय पूर्व इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आसपास के क्षेत्र में 24,000/-रुपये प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किये गये है ।

--7

अतः इस मामलें में भी इस भूमि को मुआवजा राशि 24,000/- रु0 प्रति बीघा की दर से किया जाना उचित मानतें हैं एवं हम यह भी मानते है कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी ।

यहां तक पेड़-पौधे, सड़के, कुए एवं भूमि पर स्थित स्ट्रक्चर का प्रश्न है खातेदारा द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित तकमीनें पेश नहीं किये गयें है । ऐसी स्थिति में स्ट्रेक्चर [यदि कोई हो] के मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है । इसका निर्धारण बाद में जविप्रा से तकनीकी अनुमोदित तकमीनें प्राप्त होने पर विचार करके नियमानुसार निर्धारण किया जावेगा ।

हम इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो 24,000/-रुपये प्रति बीघा की दर से करते हैं लेकिन मुआवजे का भुगतान विधिक रूप से मालिकाना हक सम्बन्धी दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जायेगा । मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट "ए" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23[1] एवं 23[2] के अंतर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30%सोलेशियम एवं 12% अतिरिक्त राशि भी देय होगी । जिसका निर्धारण परिशिष्ट "ए" में मुआवजे की राशि के साथ दर्शाया गया है ।

अतिरिक्त निदेशक[प्रथम] एवं सक्षम अधिकारी, नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31.5.91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर सकुंलन सीमा में सम्मिलित है एवं अलसर अधिनियम 1976 से प्रभावित है लेकिन उन्होंने यह सूचना नहीं दी है कि अलसर अधिनियम 1976 की धारा 10[3] की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी अथवा नहीं । ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहें है ।

यह अवार्ड आज दिनांक 17-6-91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है ।

संलग्न: परिशिष्ट "ए" की गणना तालिका

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
भूमि अवाप्ति अधिकारी,
नगर विकास परियोजनाऐं,
जयपुर

परिशिष्ठ "ए" गणना तालिका ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर, जयपुर।

क्र.सं.	मुकदमा नं.	नाम खातेदारान/हितदारान	खसरा नं.	अवाप्ति अधीन भूमि का रकबा बी.. बि.	मुआवजा दर	मुआवजा राशि	सोलेशियम 30%	अतिरिक्त 12%	कुल योग
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	486/88	धर्मेन्द्र सिंह पुत्र बहुरूपसिंह	343	00-12					
		कोम जाट सा. देह	344	00-02					
			345	00-02					
			346	00-17					
			347	01-04					
			348	02-03					
			349/422	24-14					
				29-14	24,000/-	7,12,800/-	2,13,840/-	2,52,046/-	11,78,686/-

नोट:• {1} सोलेशियम 30 प्रतिशत कालम नम्बर 8 पर मुआवजा राशि पर दिया गया है।

{2} अतिरिक्त राशि 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की गणना धारा -4 {1} का गजट दिनांक 7.7.88 से 17.6.91 तक दी गई है।

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (सचिवालय) नगर विकास योजनाएं

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर
भूमि अवाप्ति अधिकारी